भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

10 AUG 2023

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GS 012580

(प्रारूप "अ")

सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्था की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव/प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत नोटरी शपथ पत्र–

हम **राजेश कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र** ,अध्यक्ष एवं सचिव/प्रबन्धक श्री **विजय नाथ मौर्य पुत्र श्री यज्ञ नारायण** सोसाइटी नाम **अर्चना शिक्षण एवं सामाजिक उत्थान समिति,रामनाथी,भीटी, हण्डिया,प्रयागराज,उ0 प्र0** शपथ पूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं।

1. यह कि सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा **अर्चना शिक्षण एवं सामाजिक उत्थान समिति**, संस्था का नाम **अर्चना कालेज ऑफ फार्मेसी,पूरेमनई,बरौत,प्रयागराज उ0प्र0 नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान** की स्थापना सत्र **2023–24** से किया जाना प्रस्तावित हैं।

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम अर्चना शिक्षण एवं सामाजिक उत्थान समिति, रामनाथी,भीटी,हण्डिया,प्रयागराज उ0प्र0 जहाँ भूमि पर स्थित हैं, में **गाटा संख्या 26 रकबा 0.0460 हे0, गाटा संख्या 51मि. रकबा 0.0060 हे0, गाटा संख्या 19मि. रकबा 0.4670 हे0 व गाटा संख्या 51मि. रकबा 0.0510 हे0 व गाटा संख्या 19मि. रकबा 0.4690 हे0 कुल 5 गाटा कुल रकबा 1.0390 हे0** भूमि हैं।

3. यह कि उपरोक्त भूमि किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा हैं। और भूमि विवाद रहित हैं।

राजेश कुमार

4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 26 रकबा 0.0460 हे0, गाटा संख्या 51मि. रकबा 0.0060 हे0, गाटा संख्या 19मि. रकबा 0.4670 हे0, व गाटा संख्या 51मि. रकबा 0.0510 हे0 व गाटा संख्या 19मि. रकबा 0.4690 हे0 कुल 5 गाटा कुल रकबा 1.0390 हे0 भूमि पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक 29/06/2022 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इन भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का सही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद ,उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई.टी.आई. आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्मित निर्देशों/आदेशों का भलीभाँति पालन करूँगा यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है, तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, एवं मुझे मान्य होगा, इस हेतु मेरे द्वारा कोई भी विधिक कार्यवाही नही की जायेगी।

13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं, तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जायेगी जिसमें किसी भी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

जिनकी पहचान ... ने मेरे सामने हस्ताक्षर ... की अपना पूर्ण ... किया ... सत्य है।

हस्ताक्षर अध्यक्ष

हस्ताक्षर सचिव/प्रबन्धक

नोटरी
उत्तर प्रदेश